"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2006—चैत्र 13, शक 1928

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी)
जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/443/मंडी निर्वा./2005-06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 84 के उप नियम 15 के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है, कि जशपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति क्रमांक 62-जशपुरनगर के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :—

सरल क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक एवं नाम	उपाध्यक्ष का नाम एवं पिता का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	62-जशपुरनगर	श्री लेरंगु राम आत्मज श्री सीताराम	ग्राम व पोस्ट-सोनक्यारी, तहसील व जिला- जशपुर.

"मण्डी समितियों के निर्वाचन मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.-6474/2005 दिनांक 23-12-2005 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय के अनुसार उक्त निर्वाचन एवं उनके परिणाम प्रभावित होंगे".

जशपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/444/मंडी निर्वा./2005-06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 84 के उप नियम 15 के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है, कि जशपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति क्रमांक 63-कुनकुरी के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :—

सरल क्रमांक (1)	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक एवं नाम (2)	उपाध्यक्ष का नाम एवं पिता का नाम (3)	पता (4)
1.	63-कुनकुरी	श्री कपिलेश्वर आत्मज श्री रजिन्दर सिंह राजपूत.	ग्राम व पोस्ट- लवाकेरा, तहसील - कुनकुरी, जिला- जशपुर.

''मण्डी समितियों के निर्वाचन मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.-6474/2005 दिनांक 23-12-2005 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय के अनुसार उक्त निर्वाचन एवं उनके परिणाम प्रभावित होंगे''.

जशपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/445/मंडी निर्वा./2005-06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 84 के उप नियम 15 के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है, कि जशपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति क्रमांक 64-पत्थलगांव के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :—

सरल क्रमांक (1)	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक एवं नाम (2)	उपाध्यक्ष का नाम एवं पिता का नाम (3)	पता (4)
1.	64-पत्थलगांव	श्री दुलार साय आत्मज श्री दिलसाय	ग्राम व पोस्ट- पत्थलगांव, वार्ड क्रमांक 12, तहसील-पत्थलगांव, जिला - जशपुर.

''मण्डी समितियों के निर्वाचन मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.-6474/2005 दिनांक 23-12-2005 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय के अनुसार उक्त निर्वाचन एवं उनके परिणाम प्रभावित होंगे''.

जशपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/446/मंडी निर्वा./2005-06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9) एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 84 के उप नियम 15 के तहत एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है, कि जशपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति क्रमांक 65-बगीचा के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :—

सरल क्रमांक (1)	कृषि उपज मण्डी समितिं का क्रमांक एवं नाम (2)	उपाध्यक्ष का नाम एवं पिता का नाम (3)	पता (4)
1.	65-बगीचा	श्री टिकेश्वर राजवाड़े आत्मज श्री बलदेव राजवाड़े.	ग्राम व पोस्ट- सुलेसा, तहसील- बगीचा, जिला - जशपुर.

"मण्डी समितियों के निर्वाचन मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.-6474/2005 दिनांक 23-12-2005 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय के अनुसार उक्त निर्वाचन एवं उनके परिणाम प्रभावित होंगे".

दुर्गेश मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी)
जिला - जशपुर (छ. ग.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.